राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :-एफ2(8)/संकलन/2017-18/358 दिनांक :-24/08/17

परिपत्र

भारत सरकार द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों के अन्तर /आन्तरराज्यिक प्रदाय पर करारोपण एवं संग्रहण के लिए या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए ''वस्तु और सेवाकर अधिनियम (Good & Service Tax Act) को भारत के राजपत्र में Extraordinary, Part II, section 1 दिनांक 12 अप्रेल, 2017 द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। यह जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है, की मण्डल में क्रियान्विती करने हेतु निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है:-

मण्डल सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्तकर्ता दोनों रूपों में जी.एस.टी. के लिये दायित्वधीन है। मण्डल द्वारा प्रदत्त की जा रही अधिकांश सेवाऐं जी.एस.टी. के अन्तर्गत 'आऊटपुट सर्विसेज' के दायरें में है एवं संवेदकों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की जा रही सेवाऐं अथवा आपूर्तियां जी.एस.टी. के अन्तर्गत 'इनपुट सर्विसेज' की देयता में है।

मण्डल में जीएसटी के प्रभावी अनुपालन हेतु निम्न दिशा निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जा रहे हैं। संबंधितों द्वारा इनकी पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जावे -

1. **मण्डल में जीएसटी विधि की पालना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।**

2. **जी.एस.टी. के तहत पंजीयन** :-मण्डल की सभी इकाईयाँ (खण्ड एवं वृत्त कार्यालय) राजस्थान राज्य में ही अवस्थित होने एवं मण्डल की गतिविधियाँ भी राजस्थान में ही होने के कारण मण्डल को एकीकृत रूप से एक पंजीयन प्राप्त करना है। मण्डल की विभिन्न इकाईयों को पृथक से जी.एस.टी.आई.एन. में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। मण्डल द्वारा जी.एस.टी. में उक्त पंजीयन करवा दिया गया है। मण्डल के जी.एस.टी. पंजीयन का विवरण निम्नानुसार है :-

Certificate of Provisional Registration

1.	GSTIN	08AAALR0046F1ZA
2.	PAN	AAALR0046F
3.	Legal Name	RAJASTHAN HOUSING BOARD
4.	Trade Name	RAJASTHAN HOUSING BOARD

Certificate of Provisional Registrationकी प्रति **''संलग्नक 1''** पर है।

जी.एस.टी. के पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जी.एस.टी. के विवरण को कार्य स्थल पर निम्नानुसार प्रदर्शित किया जावे :–

I. **पंजीयन प्रमाण–पत्र**–मुख्य कार्यस्थल (मण्डल मुख्यालय) एवं समस्त इकाईयों (खण्ड,वृत्त एवं जोन) कार्यालयों के अंदर रिसेप्शन/आगन्तुक लॉबी में फोटो फ्रेम में प्रदर्शित किया जावे।

II. **जी.एस.टी.आई.एन.**–मुख्य कार्यस्थल (मण्डल मुख्यालय) एवं समस्त इकाईयों (खण्ड,वृत्त एवं जोन) कार्यालयों के नाम के बोर्ड पर तथा कार्यस्थलों पर लगे हुए बोर्डस पर।

III. मण्डल की समस्त छपी हुई स्टेशनरी, बिल/इनवॉइस व ऐसे समस्त जमा राशि के चालान/ रसीद जिनमें की जीएसटी की राशि संबंधित से प्राप्त की गई है की प्रत्येक प्रति पर राजस्थान आवासन मण्डल का GSTIN 08AAALR0046F1ZA अवश्य उल्लेखित किया जावे। अन्य व्यवस्था होने तक प्रत्येक संग्रह केन्द्र व मण्डल के द्वारा अधिकृत बैंक शाखा को मण्डल के विधिक नाम व GSTIN 08AAALR0046F1ZA की मोहर उपलब्ध कराई जावे एवं उक्त केन्द्रों व बैंक द्वारा राशि जमा के प्रत्येक चालान/ रसीद पर उक्त मोहर अनिवार्य रूप से लगाये जाने की व्यवस्था की जावे।

खण्ड/वृत/भुगतान प्रकोष्ठ के रोकडिया द्वारा जारी की जाने वाली ऐसी जमा रसीदें जिनमें कि जीएसटी राशि की वसूली भी की गई है उन समस्त जमा रसीदों पर भी उपरोक्तानुसार मोहर लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आवंटियों को किसी भी तरह के जारी किये जा रहे मांग पत्रों (किश्तों/लीज की बकाया राशि/एक मुश्त बकाया राशि/ आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र/ अन्य कोई मांग पत्र) के साथ संलग्न किये जा रहे चालान एवं केश काउण्टर/वृत/खण्ड कार्यालय द्वारा आवंटी/ आवेदक को उपलब्ध कराये जा रहे खाली चालानों पर भी उपरोक्तानुसार मोहर लगाया जाना सुनिश्चित करावे।

3. प्रदत्त सेवाओं की GST Rate व HSN Code–

मण्डल द्वारा प्रदत्त की जा रही विभिन्न सेवाओं की **GST Rate व HSN Codes** निम्नानुसार हैं :–

S. No.	Name of Accounting Head / Services	HSN Code	CGST	RGST	Remarks
1.	Registration Deposit	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
2.	Seed Money	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	

S. No.	Name of Accounting Head / Services	HSN Code	CGST	RGST	Remarks
3.	Interest On Seed Money	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
4.	SFS	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
5.	Interest On SFS	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
6.	Monthly Instalment (New)	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
7.	Interest On Monthly Instalment (New)	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
8.	Rebate On Monthly Instalment Interest (New) – **Credit Note**	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
9.	Interest On Monthly Instalment After Repayment Period	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
10.	Other Charges	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
11.	ORS	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
12.	Interest for delay on ORS	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
13.	Penal Interest On Outstanding Dues	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
14.	SFS Deductible	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
15.	Monthly Installment (Old)	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
16.	Ancillary service Charges	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
17.	Open Counter Sale (HPS)	9954	9 % on 2/3 Value	9 % on 2/3 Value	
18.	Cost of Form, Application form	9972	9%	9%	
19.	Processing Fee	9972	9%	9%	
20.	Lease Money (Residential)	9972	9%	9%	
21.	Interest On Lease Money (Residential)	9972	9%	9%	
22.	Rebate On Lease Money Interest (Residential) – **Credit Note**	9972	9%	9%	
23.	Legal Charges (Receipt through A/L)	9972	9%	9%	
24.	Cost of Map (Receipt through A/L)	9972	9%	9%	
25.	Fees, Fines and Forfeitures	9972	9%	9%	

S. No.	Name of Accounting Head / Services	HSN Code	CGST	RGST	Remarks
26.	Lease Money (Commercial)	9972	9%	9%	
27.	Interest On Lease Money (Commercial)	9972	9%	9%	
28.	Rebate On Lease Money Interest (Commercial) – **Credit Note**	9972	9%	9%	
29.	Lease Money (Institutional)	9972	9%	9%	
30.	Cost of Tenders/Sale of Tender Form	9972	9%	9%	
31.	Renting of community center	9972	9%	9%	
32.	Renting of immovable property to bank, post office, state govt. department, police department, private vendors.	9972	9%	9%	
33.	Renting of vacant land for social purposes to nagarik samities or others.	9972	9%	9%	
34.	Renting of vacant land for commercial use.	9972	9%	9%	
35.	Renting of office canteen	9972	9%	9%	
36.	Building permission charges (भवन अनुज्ञा राशि)	9972	9%	9%	
37.	Application fees for map approval case.	9972	9%	9%	
38.	Betterment levy charges	9972	9%	9%	
39.	Application fees for enlistment of firms	9997	9%	9%	
40.	Enlistment fees	9997	9%	9%	
41.	Liquidated damage charges recoverable from contractors/ supplier firms.	9997	9%	9%	
42.	**Services of GTA** Services provided by a goods transport agency, by way of transport in a goods carriage of - (a) agricultural produce; (b) goods, where consideration charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed one thousand five hundred rupees; (c) goods, where consideration charged for transportation of all such goods for a single consignee does not exceed rupees seven hundred and fifty; (d) milk, salt and food grain including	9967	0%	0%	

S. No.	Name of Accounting Head / Services	HSN Code	CGST	RGST	Remarks
	flour, pulses and rice; (e) organic manure; (f) newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers; (g) relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap; or (h) defence or military equipments.				
43.	**Hiring of Vehicle** (i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	9966	2.50%	2.50%	
44.	(ii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) above. (also motorcab if fuel is provided by Raj. Seeds	9966	9%	9%	
45.	Selling of space for Advertisement in print media	9983	2.50%	2.50%	
46.	RTI Fees	9997	9.00%	9.00%	
47.	Services of GTA Other than above	9967	2.50%	2.50%	**Under Reverse Charge**
48.	Services by Advocate	9982	9.00%	9.00%	**Under Reverse Charge**
49.	Services by Retired Employees (Considering unregistered)	9985	9.00%	9.00%	**Under Reverse Charge**
50.	Tea & coffee	2202	6.00%	6.00%	**Under Reverse Charge if purchased from unregistered dealer**
51.	Namkeen , samosa,Kachori etc.	2106	6.00%	6.00%	**Under Reverse Charge if purchased from unregistered dealer**

S. No.	Name of Accounting Head / Services	HSN Code	CGST	RGST	Remarks
52.	Lock and key	8301	9.00%	9.00%	**Under Reverse Charge if purchased from unregistered dealer**
53.	Sponsorship of an event	9983	9.00%	9.00%	**under Reverse Charge mechanism**
54.	Services provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal	9982	9.00%	9.00%	**under Reverse Charge mechanism**
55.	Auction Of Plot (Land)		Exempted	Exempted	
56.	Interest On Auction Of Plot Auction Of Shop		Exempted Exempted	Exempted Exempted	
57.	Interest On Auction Of Shop		Exempted	Exempted	
58.	Open Counter Sale (Lumpsum Payment)		Exempted	Exempted	
59.	Income Tax Amount		Exempted	Exempted	
60.	Hire Purchase Deposit		Exempted	Exempted	
61.	Institutional Allotment Deposit		Exempted	Exempted	
62.	Interest On Institutional Allotment money		Exempted	Exempted	
63.	Rebate On ORS Institutional		Exempted	Exempted	
64.	Fees collection on behalf of RISL (E procurement software uses charges) (DD in favour of MD RISL)		Exempted	Exempted	

(i) **उपरोक्त सेवाओं की राशियों के देरी से भुगतान पर वसूल किये गये ब्याज पर उसी दर से CGST व RGST लागू होगी।**

(ii) **अग्रिम राशियों की प्राप्ति – किसी भी मद में अग्रिम राशि की प्राप्ति होने पर उपरोक्तानुसार वर्णित दरों से CGST व RGST की राशि भी ली जायेगी। अग्रिम के लिये Clear tax software से Advance receipt voucher जारी किया जावे। जारी की जाने वाली प्रत्येक रसीद का नम्बर विशिष्ट (Unique) होगा और अधिकतम 16 अक्षरों का होगा।**

सामान्यतया मण्डल में किसी भी सेवा हेतु अग्रिम राशि प्राप्त नहीं की जाती है, किन्तु वे समस्त खण्ड जिसके द्वारा सामुदायिक केन्द्र का संचालन किया जा रहा है उन खण्डों द्वारा सामुदायिक केन्द्र की बुंकिग हेतु जो अग्रिम राशि प्राप्त की जाती है उस पर उपरोक्तानुसार CGST व RGST की राशि भी वसूल कर उपरोक्तानुसार रसीद जारी की जायेगी।

1 जुलाई, 2017 से पूर्व प्राप्त की गई अग्रिम राशियों पर जीएसटी की देयता नहीं होगी एवं ठेकेदारों से ली जाने वाली प्रतिभूति राशि (EM/SD) प्राप्ति अथवा भुगतान पर किसी तरह के कर की देयता नहीं होगी।

(iii) अग्रिम राशि प्राप्त कर रसीद जारी कर देने के पश्चात यदि संबंधित इकाई (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) द्वारा अग्रिम प्राप्त राशि के बदले कोई भी आपूर्ति/सेवा प्रदान नहीं की जाती है एवं कर वाउचर जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी अग्रिम राशि के संबंध में रिफण्ड वाउचर जारी किया जाये।

(iv) उपरोक्त आउटपुट सर्विसेज से प्राप्त/वसूल की गई जी.एस.टी. (CGST+RGST) की राशियों को इकाई (खण्ड/वृत्त/भुगतान प्रकोष्ठ) के स्तर से जमा नहीं कराया जाना है। इकाई को केवल प्राप्त राशियों से संबंधित सूचनाऐं सॉफ्टवेयर के माध्यम से GSTR-1 में अपलोड करनी है।

3(a) <u>Reverse Charge Mechanism</u> means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both

निम्नांकित सेवाओं के लिये जीएसटी एक्ट में RCM के तहत सेवा प्राप्तकर्ता को ही पूर्णतया CGST एवं RGST के भुगतान के लिये दायित्वाधीन किया गया है अर्थात् कर चुकाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी/राशि मण्डल को वहन करनी है। (चाहे सेवाप्रदाता पंजीकृत हो अथवा अपंजीकृत)

1. Services provided or agreed to be provided by a goods transport agency (GTA) in respect of transportation of goods by road.
2. Services provided or agreed to be provided by an individual advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly.
3. Services provided by an arbitral tribunal
4. Sponsorship Services

5. Services provided or agreed to be provided by a director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate

6. Services provided or agreed to be provided by Government (Central/State) or local authority excluding,-

   a. Renting of immovable property, and

   b. Services specified below-

      (i) services by the Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Government;

      (ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the precincts of a port or an airport;

      (iii) Transport of goods or passengers.

उपरोक्त सेवाऐं प्राप्त करने पर संबंधित इकाई (खण्ड/वृत्त/मुख्यालय भुगतान प्रकोष्ठ) को **Clear tax software से Purchase tax invoice** तैयार कर पारित करते हुये भुगतान करना होगा।

3(b) <u>अपंजीकृत व्यक्ति/संस्था से आपूर्ति व सेवाऐं लेने पर कर दायित्व–</u>

व्यक्ति/संस्था/आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता जोकि GSTIN में पंजीकृत नहीं है, से कोई भी आपूर्ति/सेवा अथवा दोनों प्राप्त करने पर जीएसटी (CGST + RGST) चुकाने का दायित्व मण्डल का होगा।

बिन्दु संख्या 3(a) व 3(b) के कर दायित्व हेतु आपूर्ति/सेवा अथवा दोनों प्राप्त करने एवं भुगतान करने वाली इकाई को निम्न अनुपालनाऐं करनी होगी –

i) भुगतान करने पर संबधित इकाई को **Clear tax software से Purchase tax invoice** तैयार कर Payment Voucher पारित करना होगा।

ii) RCM के तहत देय कर का भुगतान भी आउटपुट सर्विसेज से प्राप्त/ वसूल की गई जी.एस.टी. राशि सहित मुख्यालय स्तर से ही ऑनलाईन किया जायेगा। अतः प्रत्येक इकाई को इस प्रकार के कर संबंधि सूचनाऐं जी. एस.टी. रिटर्न के लिए उपलब्ध करवानी होगी। इनपुट क्रेडिट का समायोजन/उपयोग RCM भुगतान के लिये अनुमत नहीं है।

iii) RCM के तहत चुकाये गये कर का आगामी माह में इनपुट केडिट लिया जायेगा।

iv) प्राप्त की गई समस्त आपूर्ति/सेवा के संव्यवहारों के लिये GSTR-2 में विस्तृत अनुपालना मासिक रूप से प्रस्तुत की जानी है।

बिन्दु संख्या 3 (a) व 3 (b) के अनुसार Reverse charge के तहत मण्डल की ओर से Payable GST का Invoice wise पूर्ण विवरण Annexure– 5 में तैयार किया जावे।

4. <u>स्त्रोत पर कर कटौती</u>–

*वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अनुच्छेद 51 में जीएसटी के पेटे 2 प्रतिशत (**1% CGST& 1% RGST**) स्त्रोत पर कर कटौती (**TDS**) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर की जानी होगी। <u>वर्तमान में उक्त प्रावधान को आगामी अधिसूचना जारी होने तक निलम्बित रखा गया है।</u>*

*वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक **F.12(5)FD/Tax/2017** दिनांक 14.07.2017 के द्वारा सभी आहरण वितरण अधिकारी जिनके स्तर से भुगतान किये जा रहे है को पंजीकरण करवाना होगा। उक्त पंजीकरण 25 जुलाई 2017 से प्रारम्भ हो चुके है।*

5. <u>विभिन्न संव्यवहारों के लिये आवश्यक दस्तावेज/प्रारूप</u>–

निम्नांकित संव्यवहारों के लिये उनके सम्मुख अंकित दस्तावेज जारी किये जायेगें।

क्र.सं.	संव्यवहार	Invoice
1	**All supplies of goods and services, should accompany proper invoice at the time of removing goods/rendering services. For supply of taxable goods and services, 'Tax Invoice', has to be prepared.**	**Create sales invoice (Cleartax software)**
2	**For supply of exempted goods/services, 'Bill of Supply' has to be prepared.**	**Create Bill of Supply (Cleartax software)**
3	**For all input services (payment of bills of contractors/ various purchases)**	**Record purchase invoice (Cleartax software)**
4	**Purchases from unregistered suppliers / services under reverse charge**	**Record purchase invoice (Cleartax software) under reverse charge**
5	**On receiving of advance for services (community center)**	**Create advance receipt (sales) (Cleartax software)**

The tax rate to be charged for each item of goods/services should be the applicable rate for such goods/service as per new system of HSN code. Goods meant for stock transfer within the state can be sent on the basis of delivery challan without issue of invoice and without charging of GST. Inter-State transfer would attract IGST, being treated as supply of goods. However RHB is not having any such inter-state transfer transaction as it is not having any office outside state of Rajasthan.

i) **<u>In case of supply of goods, the tax invoice/ bill of supply shall be prepared in triplicate in the following manner</u>** :-

(a) The original copy being marked as **ORIGINAL FOR RECIPIENT**;

(b) The duplicate copy being marked as **DUPLICATE FOR TRANSPORTER**;

(c) The triplicate copy being marked as **TRIPLICATE FOR SUPPLIER**.

ii) **<u>In case of supply of services, the tax invoice/ bill of supply shall be prepared in duplicate in the following manner</u>**:-

(a) The original copy duly marked as **ORIGINAL FOR RECIPIENT**;

(b) The duplicate copy duly marked as **DUPLICATE FOR SUPPLIER**;

(As Rajasthan Housing Board is supplying services, it has to prepare invoices in duplicate.)

6. **<u>सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में विभिन्न निर्माण कार्यो एवं अन्य आपूर्तियों/ प्रदायों पर जीएसटी दरें</u>**–

वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम में RCM के तहत प्राप्त की गयी सेवाओं व अपंजीकृत व्यवहारियों से प्राप्त की गयी आपूर्ति एवं सेवाओं (बिन्दु संख्या 3(a) व 3(b)) के तहत देय CGST एवं RGST की राशियां जमा कराने की जिम्मेवारी मण्डल की है।

शेष सेवाओं/आपूर्तियों/निर्माण कार्यो पर लागू जीएसटी की राशि (CGST एवं RGST में) जमा कराने की जिम्मेवारी पूर्णतया संबधित सेवाप्रदाता/आपूर्तिकर्ता/संवेदक की ही है। संवेदक/आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता को भुगतान की गयी जीएसटी राशि की इनपुट क्रेडिट मण्डल को प्राप्त होगी, अतः संबंधित सेवाप्रदाता/आपूर्तिकर्ता/संवेदक द्वारा जारी बिल/दावें में फर्म के साथ–साथ मण्डल का GSTIN उल्लेखित होना सुनिश्चित करें। आपूर्तिकर्ता अथवा सेवा प्रदाता द्वारा जीएसटी निर्धारित दर से वसूल की जा रही है, के सत्यापन हेतु मुख्यतः उपयोग में आने वाली सेवाओं/आपूर्ति पर कर की दरों का विवरण निम्नानुसार है :–

सेवाऐं/निर्माण कार्य

क्र. सं.	सेवा/निर्माण कार्य	कोड	जीएसटी दर		इनपुट केडिट उपलब्धता की स्थिति
			CGST	RGST	
1	निर्माण कार्य (भवन)	9954	9%	9%	Yes, eligible
2	निर्माण कार्य (रोड़)	9954	9%	9%	Yes, eligible
3	निर्माण कार्य (नालियॉ, पार्क व अन्य विकास कार्य)	9954	9%	9%	Yes, eligible
4	निर्माण कार्य (बाह्रय विद्युतिकरण)	9954	9%	9%	Yes, eligible
5	निर्माण कार्य (जलापूर्ति एवं सीवरेज)	9954	9%	9%	Yes, eligible
6	निर्माण कार्य (जलापूर्ति एवं सीवरेज का ओएण्डएम)	9954	9%	9%	Yes, eligible
7	कॉलोनियों के रखरखाव के कार्य	9954	9%	9%	Yes, eligible
8	पार्को के रखरखाव व पौधो के आपूर्ति के कार्य*	9954	9%	9%	Yes, eligible
9	सुरक्षा कर्मियों के आपूर्ति का कार्य	9985	9%	9%	Yes, eligible
10	किराये पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं	9973	9%	9%	Yes, eligible
11	सर्वेयर, तृतीय पक्ष निरीक्षक (व्यक्ति), कन्सलटेन्ट (व्यक्ति) को भुगतान	9983	9%	9%	Yes, eligible
12	तृतीय पक्ष निरीक्षक (MNIT), कन्सलटेन्ट (MNIT) को भुगतान	9983	9%	9%	Yes, eligible
13	दूरभाष सेवाऐं (कार्यालय)	9984	9%	9%	Yes, eligible
14	आयकर, वैटकर व सेवाकर रिटर्न के शुल्क	9982	9%	9%	Yes, eligible
15	टाईपिंग चार्जेज	9985	9%	9%	Yes, eligible
16	Photography & Videography of schemes	9983	9%	9%	Yes, eligible
17	निर्माण कार्य (गेस्ट हाउस, कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टर)	9954	9%	9%	Ineligible
18	रखरखाव का कार्य (गेस्ट हाउस, कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टर)	9954	9%	9%	Ineligible
19	मासिक किराये पर टैक्सी (मय पेट्रोल/डीजल)	9966	2.5%	2.5%	Ineligible
20	दूरभाष सेवाऐं (व्यक्तिगत कार्मिक को पुर्नभरण)	9984	9%	9%	Ineligible
21	अनुबंधित बस किराया	9966	9%	9%	Ineligible
22	कार सर्विस व रिपेयर	9987	9%	9%	Ineligible

*पौधो के आपूर्ति के कार्य (HSN code : 06) – No GST

आपूर्तियाँ

क्र. सं.	आपूर्ति कार्य	कोड	जीएसटी दर		इनपुट क्रेडिट उपलब्धता की स्थिति
			CGST	RGST	
1	स्टेशनरी*,				Yes, eligible
2	सेनिटेशन से संबधित सामग्री*				Yes, eligible
3	कम्प्यूटर, लैपटाप,एसेसरीज*				Yes, eligible
4	इलेक्ट्रीक आइटम*				Yes, eligible
5	खेलकूद का सामान*				Yes, eligible
6	कार एसेसरीज*				Yes, eligible
7	कार्टेज रिफिल	8443	14%	14%	Yes, eligible
8	कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एसेसरिज	8443	9%	9%	Yes, eligible
9	फोटो कापी का कार्य	9997	9%	9%	Yes, eligible
10	नक्शे प्रिन्टींग का कार्य	9988	2.5%	2.5%	Yes, eligible
11	बुकलेट प्रिन्टींग मय कागज	9988	2.5%	2.5%	Yes, eligible
12	ऑफिस फर्नीचर	9403	14%	14%	Yes, eligible
13	ताले	8301	9%	9%	Yes, eligible
14	दीवार घड़ी	9105	9%	9%	Yes, eligible
15	सैल	8506	14%	14%	Yes, eligible
16	फायर एक्सटिंकर्स	8424	14%	14%	Yes, eligible
17	थर्मस-Flask थर्मस -Vacuum flasks	7010 9617	9% 14%	9% 14%	Yes, eligible
18	क्रोकरी आइटम	6912	9%	9%	Yes, eligible
19	बस्ते,(cloth for packing of document/book) परदे, upto Rs. 1000 per piece परदे, > Rs. 1000 per piece टॉवलस	5407 63 63 4818	2.5% 2.5% 6% 9%	2.5% 2.5% 6% 9%	Yes, eligible
20	ब्रीफकेस	4202	14%	14%	Yes, eligible
21	कर्मचारियों की वर्दीयॉ	5407	2.5%	2.5%	Yes, eligible
22	जूते Footwear having a retail sale price not exceeding Rs.500 per pair Other Footwear	64 6401 to 6405	2.5% 9%	2.5% 9%	Yes, eligible
23	खिलाडियों की ड्रेस sale value exceeding Rs. 1000 per piece sale value not exceeding Rs. 1000 per piece	61 61	6% 2.5%	6% 2.5%	Yes, eligible
24	टायर्स	4011	14%	14%	Yes, eligible
25	भोजन पैकेट #	9963	6%	6%	Ineligible

क्र. सं.	आपूर्ति कार्य	कोड	जीएसटी दर		इनपुट क्रेडिट उपलब्धता की स्थिति
			CGST	RGST	
26	मिठाईयाँ	2106	2.5%	2.5%	Ineligible
27	बिस्कुट	1905	9%	9%	Ineligible
28	फ्राईड काजू	2008	6%	6%	Ineligible
29	वेफर्स(Chips)	2005	6%	6%	Ineligible
30	कचौरी, समोसा, चाय, काफी, शीतल पेय, ज्यूस एवं लस्सी #	9963	6%	6%	Ineligible

Note:

* Rate depends upon item;

-if purchase from location having aircondition facility – CGST/SGST rate will be 9%/9%

7. **इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यक शर्ते एवं प्रक्रिया–**

इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये निम्न की उपलब्धता/अनुपालना आवश्यक है –

i) प्राप्त की गयी सेवाओं/आपूर्तियों के बाबत् जीएसटीएन में पंजीकृत व्यवहारी द्वारा जारी किया गया कर बिल/डेबिट या क्रेडिट नोट की मूल प्रति।
सेवाप्रदाता/आपूर्ति कर्ता द्वारा जारी जीएसटी वाउचर (बिल, डेबिट या क्रेडिट नोट) में मण्डल के **जीएसटीएन नम्बर 08AAALR0046F1ZA** व विधिक नाम **RAJASTHAN HOUSING BOARD** का अंकित होना आवश्यक है।

ii) खरीद की गई वस्तुओं, प्राप्त की गई सेवाओं व पूंजीगत व्ययों में चुकाये गये जीएसटी कर की इनपुट क्रेडिट प्राप्त होगी। अतः संबंधित आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता से जो बिल प्राप्त किया जावे उसमें समस्त आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

iii) आरसीएम के अन्तर्गत व अपंजीकृत व्यवहारी से प्राप्त की गयी सेवा/आपूर्ति हेतु तैयार किये गये कर बिल की मूल प्रति।

iv) आपूर्ति/सेवाओं की प्राप्ति हो जाना।

v) संबधित माह की GSTR-3 रिटर्न प्रस्तुत कर दिया जाना।

vi) संबधित सेवाप्रदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किये गये जीएसटी को सरकार के खाते में जमा कर दिया जाना।

vii) आरसीएम के अन्तर्गत व अपंजीकृत व्यवहारी से प्राप्त की गयी सेवा/आपूर्ति हेतु तैयार किये गये कर बिल में दर्शायी गयी कर की राशि सरकार के खाते में जमा कर दिया जाना।

Input utilization mechanism -

GST Input	Utilization Against	Balance
CGST	CGST Output	Carry forward to next period & adjust in the same manner.
RGST	RGST Output	Carry forward to next period & adjust in the same manner.

8. **इनपुट क्रेडिट की अनुपलब्धता (blocked credit)–**

निम्न सेवाओं एवं आपूर्तियों के पेटे किये गये जीएसटी कर की इनपुट क्रेडिट प्राप्त नहीं होगी –

(a) motor vehicles, other than used for transportation of goods

(b) the following supply of goods or services or both:—

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery;

(ii) membership of a club, health and fitness centre;

(iii) rent-a-cab, life insurance and health insurance except where the Government notifies the services which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force.

(iv) Travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession.

(c) Works contract services when supplied for construction of an immovable property except where it is an input services for further supply of work contract services. In our case works contract services taken for construction of house to be allotted/sold is available but input credit in respect of construction of own building for own use is not available.

(d) Goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples.

9. <u>कर भुगतान की देयता व समय–</u>

निम्न में से किसी भी गतिविधि के होने पर (जो भी पहले हो) जीएसटी का भुगतान करने की देयता हो जायेगी –

- Receipt of advance
- Issuance of Invoice
- Provision of Service
- Entry in Books of accounts

उपरोक्तानुसार <u>देय कर का भुगतान आगामी माह की 20 तारीख तक</u> कर दिया जाना आवश्यक है।

10. <u>जीएसटी अनुपालनाऐं–</u>

जीएसटी की अनुपालनाऐं मण्डल मुख्यालय के जीएसटी प्रकोष्ठ द्वारा कॉलम–3 में उल्लेखित तिथि से पूर्व ऑनलाईन की जानी है। अतः समस्त इकाईयों (खण्ड/वृत्त/लेखा–भुगतान) से वांछित सूचनाऐं/अनुपालनाऐं निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से कॉलम–4 में प्रदर्शित तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

S. No.	Return	Prescribed Time	Prescribed Time for Submitting Information In The Software By The Units (Division/Circle/AO-P)
1	2	3	4
a)	Monthly outward supply details (GSTR-1) (Any correction done by receipient, if registered than same will be auto populated on 16th of next month & can be finalised by 17th& accordingly GSTR-1 will be freezed for the month)	Up to 10th of next month	Up to 3rd of next month

b)	Monthly Inward supply details (GSTR-2) (detail will be auto populated in GSTR-2A on 11th of next month. Addition in GSTR-2A for invoice raised by RHB on reverse charge is to be made by the concerned unit office. Correction in details provided by suppliers (if required) is to be done by the concerned unit upto 15th& accordingly GSTR-2 will be finalised)	Up to 15th of next month	Up to 15th of next month
c)	Monthly Return (GSTR-3)	Up to 20th of next month	**By GST cell**
d)	Annual Return (GSTR-9)	Up to 31 December succeeding the Financial Year to which the return pertains along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement (GSTR – 9B)	**By GST cell**
e)	*Return for authorities deducting tax at source. (may be notified from a later date)*	*Up to 10th of next month*	***Yet not notified***

GST की अनुपालनाओं (**GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3, GSTR-9**) हेतु मण्डल द्वारा **Cleartax Software (ASP)** प्रत्येक इकाई (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) में **Install** करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। उक्त सॉफ्टवेयर पर कार्य करने एवं वांछित सूचनाऐं

भरने हेतु प्रत्येक इकाई के संबंधित कार्मिकों को सॉफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 11.08.2017 को आयोजित किया जा चुका है।

11. (a) **<u>लेखा एवं अभिलेख संधारण–</u>**

मण्डल की प्रत्येक इकाई (खण्ड/वृत्त) तथा मुख्यालय स्तर पर निम्न नवीन खाते लेखा पुस्तकों में सृजित किए जायेंगे, जिससे किये गये व्यवहारों का लेखांकन/समायोजन खण्ड/वृत्त व मुख्यालय स्तर पर किया जा सके –

1. CGST Liability Account
2. RGST Liability Account
3. CGST Liability under RCM Account
4. RGST Liability Under RCM Account
5. CGST Input Credit – Capital Goods Account
6. RGST Input Credit – Capital Goods Account
7. CGST Input Credit – Input Service Account
8. RGST Input Credit – Input Service Account
9. CGST Input Credit – Input Goods Account
10. RGST Input Credit – Input Goods Account
11. CGST Input Credit – RCM Account
12. RGST Input Credit – RCM Account
13. CGST Tax Payment Account
14. RGST Tax Payment Account
15. IGST Input Credit – Capital Goods Account
16. IGST Input Credit – Input Service Account
17. IGST Input Credit – Input Goods Account
18. CGST output service Account
19. RGST output service Account

11. **(b)** समस्त इकाईयां (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) निम्न अभिलेखों का उचित संधारण सुनिश्चित करेंगे जिससे कि किसी भी विभाग द्वारा अंकेक्षण करने पर उसे उक्त अभिलेख उपलब्ध कराये जा सकें :–

1. Invoices of Inward or outward supply of goods or services or both;
2. Input tax credit availed;
3. Output tax payable and paid;
4. Invoices, payment vouchers issued and tax paid under RCM
5. Record regarding supplies attracting reverse charge along with documents (including invoices, bill of supply, delivery challans, credit notes, debit notes, receipt vouchers, payment vouchers, refund vouchers and e-way bills);
6. Accounts of stock for goods received and supplied – containing particulars of opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples and balance of stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof
7. Advances received, paid and adjustments thereto;
8. Names and complete addresses of suppliers from whom Unit has received the goods or services;
9. Names and complete addresses of the persons to whom Unit has supplied the goods or services; and
10. The complete addresses of the premises where the goods are stored by Unit, including goods stored during transit along with the particulars of the stock stored therein.

जीएसटी की अनुपालना हेतु उपलब्ध कराये जा रहे साफ्टवेयर में उपरोक्त वर्णित समस्त खातों के स्टेटमेंट तो प्रविष्ठि करने के साथ ही तैयार हो जायेंगे किन्तु प्रत्येक इकाई (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) को साफ्टवेयर स्टेटमेंट के साथ-साथ अपनी लेखा पुस्तकों में भी उक्त खाते संधारित करना अनिवार्य है। उक्त खातों में लेखांकन करने की प्रक्रिया कर सलाहकार द्वारा दी गई राय के अनुसार **"संलग्नक-2"** पर वर्णित है।

12. लेखा अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की अवधि-

समस्त लेखा अभिलेख वार्षिक कर रिटर्न की अंतिम तिथि आगामी वर्ष की 31 दिसम्बर से 72 माह तक विधिक रूप से सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य हैं। परन्तु प्रस्तुत की गई रिटर्न के संबंध में कोई अपील, रिविजन या अन्य कार्यवाही

विचाराधीन/लम्बित है, तो लेखा अभिलेख उक्त अपील, रिविजन या अन्य कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के एक वर्ष पूर्ण होने तक रखे जाने अनिवार्य हैं।

13. **वेट व सर्विस टैक्स से जीएसटी में पारगमन (Transition) के प्रावधान–**

वेट व सर्विस टैक्स से जीएसटी में परिवर्तन हेतु निम्न शर्तो की पूर्ति किया जाना आवश्यक है –

1. ***Submission of Form Trans-1 (in respect of carry forward of input credit)उक्त फॉर्म 28 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत किया जाना है। चूंकि उक्त फॉर्म समस्त इकाईयों की उपलब्ध इनपुट क्रेडिट (Vat & Service Tax) एकजाही रूप से मुख्यालय के जीएसटी प्रकोष्ठ से प्रस्तुत किया जाना है। अतः सभी इकाईयों (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) द्वारा 30.06.2017 को समाप्त हो रही तिमाही के लिये रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात् उपलब्ध CENVAT CREDIT BALANCE की सूचना तत्काल जीएसटी प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत वर्ष 2016-17 के तैयार हो रहे पूरक खातों में भी उक्त सूचनाऐं प्रस्तुत करने बाबत विस्तृत निर्देश वित्तीय सलाहकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं (संलग्नक-3)।***
   उक्त निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

2. 30.06.2017 को समाप्त हो गई तिमाही के लिये प्रत्येक इकाई (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) को सेवाकर व वेट की रिटर्न्स निर्धारित समयावधि में संबंधित विभाग में प्रस्तुत करनी है। सेवाकर की रिटर्न के लिये निर्धारित तिथि 14.08.2017 है, जबकि वेट (WCT) के लिये अभी तक अलग से कोई तिथि अधिसूचित नहीं हुई है।

3. समस्त इकाईयों (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) को 30.06.2017 की तिमाही रिटर्न दाखिल करने तथा उक्त से संबंधित सभी लम्बित विधिक मामलों के निष्पादन के पश्चात अपने 'टिन नम्बर' व 'सेवाकर नम्बर' समर्पित कर देने है।

4. **परिपत्र क्रमांक F2(8)/Comp/GST/2017-18/192 दिनांक 21.06.2017 को संदर्भित करें। समस्त इकाईयां (खण्ड/वृत्त व मुख्यालय) ऐसे समस्त लम्बित बिल/भुगतान जिनका कार्य दिनांक 30.06.2017 तक पूर्ण किया जा चुका है एवं जिनमें पुराने सेवाकर कानून के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिजम (RCM)**

के अंतर्गत टैक्स जमा कराने की जिम्मेवारी है, का निर्धारित 30 दिवस में निष्पादन करें। उक्त लम्बित बिलों के निष्पादन में विलम्ब किए जाने पर देरी के लिये ब्याज का दायित्व बोर्ड पर होगा। साथ ही मण्डल द्वारा चुकाये गये सेवाकर का इनपुट क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिल पायेगा। ऐसी जमा राशि का रिफण्ड प्राप्त करने के लिए संबंधित इकाई को अपने स्तर पर प्रयत्न/कार्यवाही करनी होगी। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि सेवाकर की दिनांक 14.08.2017 को प्रस्तुत की जा रही रिटर्न में समस्त लम्बित बिलों के सर्विस टैक्स दायित्वों का निपटारा अनिवार्य रूप से कर दिया जावे।

5. मण्डल द्वारा विभिन्न संवेदकों/आपूर्ति कर्ताओं से 30 जून, 2017 तक ली गई सेवा/ आपूर्तियों के भुगतानों पर जी.एस.टी. कानून के तहत उत्पन्न दायित्व के संबंध में कर सलाहकार से पूछे गये प्रश्नों के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण :-

प्रश्न संख्या	**प्रश्न**	**कर सलाहकार का उत्तर**
1	अगर संवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा 30 जून, 2017 तक किये गये कार्य का बिल 30 जून, 2017 को या इससे पूर्व प्रेषित कर दिया गया है तो उस पर जी.एस.टी. प्रावधान के तहत भुगतान किया जाना है या सेवाकर कानून प्रावधान के तहत।	**In case of bill raised by the supplier of goods or services upto 30th June, 2017, same are subject to VAT or service tax as the case may be and are not liable for GST. Accordingly you are required to pay service tax or VAT and not GST on the same.**
2	अगर संवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा 30 जून, 2017 तक पूर्ण किये गये कार्य का बिल 30 जून, 2017 के पश्चात् जुलाई, 2017 में प्रेषित किया गया है। उस पर किस कर कानून के तहत भुगतान किया जाना है।	**In case if bills are raised in the month of July (i.e. the date of bill are later than 30.06.2017) same are subject to GST i.e. GST is leviable on such bills. Accordingly same may be paid. However if bills issued upto 30.06.2017 but received/ passed by Housing Board in July, 2017 then in that case same are liable for VAT/Service Tax as per previous law.**
3	30 जून, 2017 तक किये गये कार्यों के बिलों का भुगतान सेवाकर कानून के प्रावधानों के तहत कब तक भुगतान किया जा सकता है?	**There is no time limit for payment of such bills, however as the Housing Board has to file the return of Service Tax for the quarter ended on 30.06.2017 upto 14.08.2017, it is advisable that same should be paid before that date in order to avail the credit of Input services in the return of serice tax.**

4	मण्डल के विभिन्न कार्यालयों द्वारा 30.06.2017 से पूर्व जारी मांग पत्रों पर माह जुलाई एवं उसके पश्चात् राशि जमा करवाने पर सेवाकर (मांग पत्र में सम्मिलित) ही वसूल किया जाना है अथवा जी.एस.टी. तथा किस अवधि तक?	**As discussed, Housing Board is raising bills on actual receipt of payment from the customers. Accordingly even if demand letters were issued upto 30.06.2017, if invoice of the same are being raised on payment basis after 30.06.2017, same are subject to GST. Accordingly Board has to charge GST on such bills.**

14. उक्त परिपत्र क्रमांक 192 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि जी.एस.टी. लागू होने कि दिनांक से पूर्व आवंटियों को जारी किए जा चुके मांग पत्र/ आंवटन पत्र जिनमें सेवाकर की राशि सम्मिलित है, उनमें भी जी.एस.टी. लागू होने की तिथि के बाद जमा होने वाली राशियों पर जी.एस.टी. कानून के तहत ही कर की देयता होगी। इस बाबत् मण्डल द्वारा दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर दिनांक 27.06.2017 में विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जा चुकी है। **(Annexure- 7)**

अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि आवेदकों/आवंटियों से जी.एस.टी. लागू होने की दिनांक 01.07.2017 के पश्चात् जमा हुई राशियों पर जी.एस.टी. कानून के अनुसार लागू दरों से ही जी.एस.टी. की वसूली की गई है। किन्हीं प्रकरणों में यदि मांग पत्र में दर्शायी सेवाकर की राशि अथवा कम राशि ही आवंटी/आवेदक द्वारा जमा करवाई गई है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों को चिन्हित कर तत्काल जी.एस.टी. के अनुसार शेष अन्तर राशि की वसूली की जावे। आवंटी/आवेदक से कम जमा हुई राशि की वसूली हेतु सेवाकर वसूली प्रक्रिया हेतु जारी परिपत्र क्रमांक एफ2(8)/संकलन/2013-14/602 दिनांक 08.11.13 के अनुसार प्रभावी कार्यवाही की जाकर राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत् आवंटियों/आवेदकों की सूचनार्थ राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर के दिनांक 22.08.2017 संस्करण में भी पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी जा चुकी है। **(Annexure- 8)**

15. मण्डल में जी.एस.टी. की रिटर्न दाखिल करने हेतु Clear tax software का उपापन (Procurment) किया गया है। उक्त साफ्टवेयर प्रत्येक इकाई (खण्ड/वृत/भुगतान प्रकोष्ठ मुख्यालय) में Install कर Login ID व Passward उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

उक्त साफ्टवेयर में जी.एस.टी. की निर्धारित रिटर्न्स जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 दाखिल करने की सुविधा के साथ-साथ

Supply invoice (allottee deposits/ receipt), purchase invoice (contractor bill payment invoice, purchase of articals etc), Debit/ Credit note, advance receipt तथा bill of supply (exempted services) बनाने की सुविधा है।

16. उक्त इनवाईस साफ्टवेयर से बनाने पर जीएसटी की रिटर्न्स में सूचनाऐं स्वतः ही दर्ज हो जायेगी, जीएसटी रिटर्न्स में सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान में राशि प्राप्ति व भुगतान हेतु बिल पारित करने की वर्तमान प्रक्रिया को यथावत रखते हुए प्रत्येक Transaction हेतु साफ्टवेयर से इनवाईस तैयार कर उसकी प्रिण्टेड प्रति प्रत्येक वाउचर के साथ नत्थी की जावे। साफ्टवेयर से बनाये गये उक्त इनवाईस पर वाउचर पारित करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे एवं प्राप्ति की स्थिति में प्राप्तकर्ता/सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

17. आवासों की लागत के पेटे आवंटियों से वसूल की जाने वाली विभिन्न राशियों (HSN Code 9954) पर पूर्व में 18 प्रतिशत (9% CGST + 9% RGST) की दर से जीएसटी की राशि वसूल की जानी थी किन्तु दिनांक 30.06.2017 को हुई GSTN counsil की बैठक में HSN Code 9954 के मद में जमा की जाने वाली राशि में 1/3 भाग राशि को भूमि की कीमत मानते हुये उक्त भाग पर जीएसटी वसूली से छूट देते हुये शेष 2/3 भाग को Taxable value मानते हुये उक्त भाग पर ही 18 प्रतिशत (9% CGST + 9% RGST) की दर से जीएसटी वसूल किये जाने का संशोधन किया गया किन्तु cleartax software में उक्त निर्णय के अनुसार अपडेशन नहीं हो पाने से HSN Code 9954 में जमा की जा रही राशि के tax invoice (Supply) उक्तानुरूप नहीं बन रहे है। cleartax software के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रावधान को 10 सितम्बर, 2017 तक अपडेट कर दिया जायेगा। अतः उक्त अपडेशन होने तक cleartax software से बिन्दु संख्या 16 में तय की गई प्रक्रिया के तहत tax invoice (Supply) तैयार नहीं किये जाये अपितु वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के अनुसार सूचनाऐं तैयार की जावे जिससे की माह अगस्त की Summery GST 3B return व GSTR-1 return समय पर प्रेषित की जा सके।

1 जुलाई, 2017 से उपरोक्त अपडेशन की तिथि तक के समस्त tax invoice (Supply) अपडेशन के पश्चात cleartax software से तैयार कर बिन्दु संख्या 16 के निर्देशानुसार समस्त वाउचर के साथ संलग्न किये जायें।

18. Reverse charge व input services (संवेदकों को भुगतान/अन्य खरीद) के इनवाईस बिन्दु संख्या 16 के निर्देशानुसार cleartax software से तैयार कर संलग्क किये जाये।

19. माह अगस्त, 2017 में प्राप्त किये गये जीएसटी (Out put sercies के लिए) जीएसटीआर–1 एवं भुगतान किये गये जीएसटी (Input services के लिए) जीएसटीआर–2 का Summery विवरण तैयार होने के उपरान्त देय टैक्स का भुगतान 17.09.2017 तक जीएसटीएन की साईट पर उपलब्ध चालान से ओनलाईन किया जाना है। अतः माह अगस्त का ऑउटपुट सर्विस (GST Receipts) व इनपुट सर्विस (GST Payments) का पूर्ण विवरण "संलग्नक–4 (Draft guidelines का संलग्नक–14 का संशोधित प्रारूप)" व संलग्नक–5 में दिनांक 05.09.2017 तक अनिवार्य रूप से तैयार कर जीएसटी प्रकोष्ठ (मुख्यालय) को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। इस विवरण में जिस राशि पर जीएसटी लागू नहीं है। उस जमा राशि का भी उल्लेख किया जाना है जिससे रिटर्न भरते समय शुन्य/ छूट वाली राशि का उल्लेख संबंधित विवरण में किया जा सके।

जमा राशियों के मूल अभिलेख खण्ड/वृत में ही उपलब्ध होने से जीएसटी प्रकोष्ठ में खण्ड/वृत/भुगतान प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार विवरण की किसी भी तरह की जांच संभव नहीं है, मात्र सूचनाओं को संकलित कर उसके अनुसार कुल जमा जीएसटी राशि का भुगतान एवं returns submission का कार्य जीएसटी प्रकोष्ठ से किया जायेगा। अतः उपरोक्त सूचनाऐं अत्यंत सावधानी के साथ तैयार करवायी जावे एवं तैयार सूचनाओं को जीएसटी प्रकोष्ठ में प्रेषण से पूर्व पुनः सावधानी से जांच कर ही प्रेषित किया जावे क्योंकि सूचनाओं में त्रुटि के कारण यदि मण्डल को कोई भी वित्तीय हानि होती है तो इसके लिए संबंधित की व्यक्तिशः जिम्मेदारी का निर्धारण किया जावेगा।

20. **Annexure–4, Annexure–5 व Annexure–6 तैयार करने बाबत् निर्देश :–**

HSN Code 9954 के बाबत Cleartax Software में अपडेशन होने तक Tax Invoice तैयार करने में बिन्दु संख्या 17 में उल्लेखित की गई कठिनाई के दृष्टिगत समस्त इकाईयों को सुविधा प्रदान करने हेतु Excel Sheet Annexure 4, Annexure 5 व Annexure 6 तैयार करवाई गई है। उक्त Excel Sheets में आवेदक आवंटियों से प्राप्त राशियों का विवरण **Cleartax Software के अपडेट होने तक ही तैयार करना है,** सॉफ्टवेयर में अपडेशन 10 सितम्बर तक होना सम्भावित है।

(i) **Excel Sheet Annexure 4 :-**

1. संलग्न Excel Sheet को इसी रूप में Download कर तैयार किया जावें।
2. उक्त Sheet में केश काउन्टर व बैंक के माध्यम से जमा हुई समस्त जमा राशियों का विवरण आवंटी/आवेदक वार दर्ज किया जाना है।
3. माह जुलाई एवं अगस्त, 2017 हेतु पृथक-पृथक विवरण तैयार किया जावें।
4. इकाईयों को Sheet में कॉलम संख्या 1 **से 4, 12, 20 व 21** ही भरने है। आवंटी/आवेदक द्वारा जमा राशि को 2 भागों में HSN Code 9954 (जिस पर 1/3 राशि का Exemption है) व HSN Code 9972 जिस पर कोई Exemption नहीं है, विभक्त किया जावें तथा HSN Code 9954 में प्राप्त कुल राशि मय GST कालम 12 व HSN Code 9972 कालम 20 में अंकित करने पर शेष कॉलमों की राशियेां की गणना स्वतः हो जायेगी।
5. मण्डल द्वारा माह जुलाई, 2017 की Summary Return GSTR 3(b) इकाईयों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर दाखिल की जा चुकी है। Detailed Return GSTR 1 दिनांक 05.09.2017 तक प्रस्तुत की जानी है। यदि पूर्व में प्रेषित सूचनाओं में कोई भिन्नता है तो उसे GSTR1 में संशोधित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवरणिका पूर्ण सावधानी पूर्वक तैयार की जावें एवं दिनांक 30.08.2017 तक अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जावें।
6. उक्त तैयार की गई Excel Sheet ई-मेल **aocompilation1@gmail.com** व **aocomp@rhbmail.in** पर प्रेषित की जावें एवं हस्ताक्षरित प्रति व्यक्तिशः रूप से जीएसटी प्रकोष्ठ में प्राप्त होना सुनिश्चित किया जावें।

(ii) **Excel Sheet Annexure 5 व 6 :-**

1. संलग्न Excel Sheet को इसी रूप में Download कर तैयार किया जावें।
2. Excel Sheet में दर्शाए गये HSN Code में सम्पूर्ण माह में प्राप्त कुल राशियों को कॉलम संख्या 4 में अंकित किया जावें। शेष सभी कॉलमों की सूचनाऐं स्वतः ही तैयार हो जायेगी।
3. उक्त तैयार की गई Excel Sheet ई-मेल **aocompilation1@gmail.com** व **aocomp@rhbmail.in** पर प्रेषित की जावें एवं हस्ताक्षरित प्रति व्यक्तिशः रूप से जीएसटी प्रकोष्ठ में प्राप्त होना सुनिश्चित किया जावें।

21. क्रेडिट नोट–

निम्न स्थितियों में Cleartax Software से Credit Note तैयार कर जारी किया जावे–

a) Taxable value or tax charged in the tax invoice issued is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply.

b) Goods supplied are returned by the receipient

c) Goods or services or both supplied are found to be deficient.

क्रेडिट नोट जारी किये जाने पर उसे साफ्टवेयर पर उस माह की रिटर्न में दर्शाया जायेगा एवं लेखों में भी उचित लेखांकन करना होगा। किसी वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपरोक्त स्थितियों के लिये आगामी सितम्बर माह तक ही (पूर्व के वित्त वर्ष से संबंधित) क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है।

22. डेबिट नोट–

किसी भी जारी किये जा चुके कर वाउचर में कर योग्य राशि अथवा कर की कम राशि वसूल किये जाने की स्थिति में बकाया राशि के लिये संबंधित को Cleartax Software से Debit Note तैयार कर जारी कर राशि की वसूली की जावे। अवधि संबंधी शर्तें 'क्रेडिट नोट' की भांति ही है।

23. जीएसटी कानून में भुगतान में विलम्ब का प्रभाव–

(i) जीएसटी के इनपुट क्रेडिट नियमों के अनुसार यदि किसी भी आपूर्तिकर्ता अथवा संवेदक के बिल का भुगतान, जीएसटी वाउचर जारी किये जाने के 180 दिवस तक नहीं किया जाता है तो ऐसी आपूर्ति/सेवा अथवा आपूर्ति व सेवा जिसका भुगतान नहीं किया गया है किन्तु इनपुट क्रेडिट ले ली गई है, कि घोषणा GSTR -2 FORM में 180 दिवस की समाप्ति के अगले माह में की जायेगी।

(ii) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में संदर्भित की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसकी घोषणा GSTR -2 FORM में की गई है, को उक्त माह की आउटपुट टैक्स दायित्व में जोड़ दिया जायेगा। संबंधित इकाई को इस हेतु उचित लेखांकन भी करना होगा।

24. मण्डल की इकाईयों के मध्य वस्तुओं/पूंजीगत वस्तुओं का स्थानान्तरण–

जीएसटी कानून के अंतर्गत मण्डल की एक इकाई से दूसरी इकाई में वस्तुओं/पूंजीगत वस्तुओं/ निर्मित अर्धनिर्मित आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसम्पतियों का स्थानान्तरण करने पर Cleartax Software से Delivery Challan जारी किया जावें।

25. ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु–

जीएसटी कानून की अनुपालना के संबंध में किये जाने योग्य/न किये जाने योग्य मुख्य बिन्दु Do's & don't to be kept in mind regarding GST :-

Sl. No.	Do's ✔	Don't ✕
1	Ensure GSTIN No. of Board on all the Invoices of supply/ services received.	Avoid/Minimise buying from unregistered dealers. You will have the burden to pay GST on their behalf, due to 'Reverse Charge Mechanism'.
2	Ensure Address with State Code & Name.	Don't do any over writing on invoice.
3	Ensure GSTIN No. of Customer, if submitted by customer.	Don't cancel the invoice. Use credit note in case of cancellation of supply of goods/services.
4	Ensure Address with State Code & Name of Customer.	Don't keep any leftover work for next day.
5	Ensure Proper HSN Code.	
6	Maintain record of each and every document. Pay more attention on proper record keeping.	
7	Issue tax invoice on sale of taxable services / goods as per guidance of Head office.	
8	Issue Bill of Supply on sale of exempted goods/services as per guidance of Head office.	

9	Take Receipt Voucher from vendor whenever you pay advance.	
10	Take tax invoice on every purchase of goods and services.	
11	Ensure GSTIN of Vendor is printed there on invoice.	
12	Ensure address, state code & name is also printed there on invoice.	
13	Generate self tax Invoice and payment voucher if tax paid on reverse charge basis (in case activity is listed as RCM or procurement from Unregistered Vendor).	
14	Maintain separate serial number for RCM invoice as per guidance of Head office.	
15	**Inform your GSTIN / ARN to all your suppliers of Goods & Services.**	
16	**Obtain GSTIN of all Suppliers & Service Recipients.**	
17	Update your entries on daily basis.	
18	Update Fixed Assets Register and send it to Head Office.	
19	Payment to Vendor shall be done in time (no delay beyond 180 days)	
20	Invoice related to Hotel Bill, Any Event or Training Bill should be in the name of "RAJASTHAN HOUSING BOARD" with GSTIN.	
21	Agreements entered at branch / unit Offices should be excuted in consultation with Head office. (Regarding Payment & Taxes Clause).	
22	Any capital goods sold/ transferred /disposed off/ shall be consult with head office for calculating tax liability	
23	**Contact Head Office to decide formation of number series of any of the document** (Tax Invoice, Credit Note, Debit Note, Receipt Voucher, Payment Voucher, Delivery Challan etc)	
24	**Contact Head Office whenever in doubt.**	**Don't do any correction or pass any debit/credit voucher directly at your own level without prior consultation with GST Cell at HQ.**

26. जीएसटी वसूली हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही

1. यह परिपत्र जारी होने के पश्चात समस्त नवीन योजनाओं की पुस्तिकाओं में CGST व RGST के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। राशि जमा कराने के चालानों में भी CGST व RGST के पृथक कॉलम बनाये जावें।
2. इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात जारी किए जाने वाले समस्त आरक्षण पत्रों (सामान्य व स्ववित्त पोषित) एवं आवंटन पत्रों में वर्णित वांछित राशि के साथ ही CGST व RGST की राशि का पृथक से स्पष्ट अंकन किया जावे।
3. **(i)** मण्डल के कैश काउन्टरों पर CGST व RGST के बाबत सूचना पट्ट लगाये जावें **(ii)** राशि जमा कराने के चालानों में CGST व RGST का कॉलम जोड़ा जावे **(iii)** कैशियर को CGST व RGST के नियमों एवं उनके HSN कोड़ नम्बरों की पूर्ण जानकारी दी जावे, जिससे वो राशियॉ जमा कराने वाले आवेदकों/आवंटियों को CGST व RGST के बाबत अवगत करा सके।
4. मण्डल की ओर से राशि संग्रहण करने वाली बैंकों की शाखाओं में वांछित राशि के साथ CGST व RGST की राशि जमा कराने बाबत् सूचना पट्ट चस्पा कर दिये जावें।
5. ई–मित्र के संबंधित काउन्टरों पर भी CGST व RGST प्रावधान संबंधी नोटिस चस्पा कर दिये जावें।
6. CGST व RGST के प्रावधानों के लागू होने के बाबत मण्डल के समस्त आवेदकों/आवंटियों की सूचनार्थ आवश्यक सूचना की विज्ञप्ति राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के संस्करण दिनांक 27.06.2017 में प्रकाशित करवाई जा चुकी है।
7. यदि किसी आवेदक/आवंटी द्वारा जमा कराई गई राशि के साथ CGST व RGST की राशि जोडकर जमा नहीं कराई जाती है, तो जमा राशि को Cum tax मानते हुए उसमें से CGST व RGST की राशि घटाकर अंकित की जायेगी एवं शेष राशि ही संबंधित आवेदक/आवंटी के खाते में जमा की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी आवंटी/आवेदक द्वारा 1,00,000/– रू. की राशि जमा कराई गई है। नियमानुसार उस पर 9 प्रतिशत CGST व 9 प्रतिशत RGST की देयता है तो उक्त आवेदक/आवंटी की कुल जमा राशि 1,00,000/– को Cum tax मानते हुए निम्नानुसार गणना की जायेगी –

   (i) आवंटी के खाते में जमा होने वाली राशि
   1,00,000x100/118= 84745.76 रूपये

   (ii) CGST amount (1,00,000–84,745.76)x1/2 = 7,627.12 रूपये

   (iii) RGST amount (1,00,000–84,745.76)x1/2 = 7,627.12 रूपये

मण्डल में अब तक जारी प्रक्रिया के अनुसार आवंटियों द्वारा जमा कराई जा रही विभिन्न राशियों का Cenvat credit लेने के लिए प्रत्येक माह के अन्त में जनरल वाउचर पारित कर खण्ड कार्यालय को राशि अन्तरित की जा रही थी। अब वस्तु एवं सेवाकर के लिए बोर्ड का एक ही GSTIN लिया गया है। अतः जनरल वाउचर पारित कर अन्तरण की यह प्रक्रिया ऐतद्द्वारा समाप्त की जाती है। अब प्रत्येक यूनिट अपने से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतानों का जीएसटी संबंधी लेखांकन एवं साफ्टवेयर पर अपलोडिंग का कार्य स्वयं अपना-अपना करेंगे।

खण्ड एवं वृत्त स्तर पर जीएसटी कानून, नियमों, प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण सावधानी से अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं उचित खाते रखे जावें, अन्यथा खण्ड स्तर पर हुई त्रुटि के लिए आवासीय अभियन्ता एवं समस्त लेखाकार्मिक तथा वृत्त स्तर पर हुई त्रुटि के लिए उप आवासन आयुक्त, समस्त लेखा/आवासन शाखा के कार्मिक संयुक्त रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे एवं मण्डल को हुई वित्तीय हानि के लिए संबंधित कार्मिकों के व्यक्तिगत भुगतानों से वसूली की जायेगी।

मण्डल की वेबसाईट पर CBEC के द्वारा जीएसटी पर जारी FAQ अपलोड किये गये है, किसी भी शंका की दशा में उन्हें संदर्भित कर लिया जावे एवं इसके पश्चात भी यदि कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है तो लिखित रूप से जीएसटी प्रकोष्ठ (मुख्यालय) को प्रेषित करें जिससे वांछित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाया जा सकें।

उपरोक्त परिपत्र के निर्देशों की अनुपालना हेतु विभिन्न विषयों पर जानकारी हेतु निम्न से सम्पर्क किया जा सकता है :-

विषय	संस्था/प्रकोष्ठ	संबंधित अधिकारी	मोबाईल नम्बर	ई-मेल
Software	**Cleartax**	**Sh. Ankur Saxena**	**08770888359**	**ankur.saxena@cleartax.in**
GST Act Provisions/ Guidelines	**M/s Kalani & Co. 5th floor, Milestone building, Gandhi nagar mod, Tonk Road, Jaipur**	**Sh. Varun Bansal**	**9829888812**	**vbansal@kalanico.com**
GST Guidelines	**GST Cell**	**Sh. Jagmohan Singh Rathore**	**9314333330**	**aocompilation1@gmail.com** **aocomp@rhbmail.in**

उक्त परिपत्र कर सलाहकार से प्राप्त सलाह के आधार पर पूर्ण सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। तथापि इस परिपत्र में दिये गये निर्देश अथवा किसी कार्य/वस्तु की दर मूल जी.एस.टी. कानूनी प्रावधान/ नोटिफिकेशन से भिन्न हो तो मूल जी.एस.टी. एक्ट के प्रावधान ही मान्य होंगे एवं तद्नुसार ही कार्य किया जावें एवं जीएसटी राशि की वसूली की जावें तथा इस प्रकार की भिन्नता अविलम्ब जी.एस.टी. प्रकोष्ठ के संज्ञान में लायी जावें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय, जयपुर / द्वितीय, जोधपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त ..../ गुणवत्ता नियंत्रण, राजस्थान आवासन मण्डल।
8. उप निदेशक (जनसम्पर्क) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पीएफ पेंशन/लागत/वसूली/निरीक्षण प्रकोष्ठ) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल।
12. सम्पदा प्रबंधक (अभिलेख)/ सहायक लेखाधिकारी (स्टोर) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. आवासीय अभियन्ता एवं प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट एवं सभी इकाईयों के ई-मेल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Annexure-1

सत्यमेव जयते

Government of India

And

Government of Rajasthan

Form GST REG-25

Certificate of Provisional Registration

1.	GSTIN	08AAALR0046F1ZA
2.	PAN	AAALR0046F
3.	Legal Name	RAJASTHAN HOUSING BOARD
4.	Trade Name	RAJASTHAN HOUSING BOARD
5.	Registration Details under Existing Law	
	Act	Registration Number
(a)	Service Tax Registration Number	AAALR0046FSD042
(b)	Service Tax Registration Number	AAALR0046FSD012
Date	28/06/2017	

This is a Certificate of Provisional Registraion issued under the provisions of the Act.

RAJASTHAN HOUSING BOARD
Accounting Adjustments

Event	Debit – Account	Credit – Account
Inward Supply of Goods		
On receipt of supply from within state supply	Expenses / Inventory/ Assets Account	Supplier
	CGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)	
	SGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)	
On receipt of supply from supply from outside state	Expenses / Inventory/ Assets Account	Supplier
	IGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)	
Outward Supply		
On making supply	Customer Account	Revenue Account
		CGST Liability Account
		RSGT Liability Account
Utilization of Input Credit		
Monthly adjustment of input credit utilization	CGST Liability Account	CGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)
		IGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)
	RSGT Liability Account	SGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)
		IGST Input Credit - (Input Service, Input Goods or Capital Goods)
Payment of Tax – Balance Tax after using ITC		
On making payment	CGST Liability Account	Bank Account
	RSGT Liability Account	

RAJASTHAN HOUSING BOARD
Accounting Adjustments

Supply under RCM		
On receipt of supply	Expenses / Inventory	Supplier
	CGST Input Credit - Reverse Charge	CGST Liability under Reverse Charges
	RGST Input Credit - Reverse Charge	RGST Liability under Reverse Charges
On payment to supplier	Supplier	Bank
On Payment of GST	CGST Liability under Reverse Charges	Bank
	RGST Liability under Reverse Charges	
Adjustment (if credit availed)	CGST Liability Account	CGST Input Credit – Reverse Charge
	RGST Liability Account	RGST Input Credit – Reverse Charge

By e-mail Annexure-3

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- F2(8)/Comp./Bs. 2016-17/ 281 दिनांक:- 27/7/17

उप आवासन आयुक्त,
आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त/खण्ड ....

विषय :- **"सेवाकर लेखों" के मिलान बाबत।**

महोदय,

वृत्त/खण्ड कार्यालय के वित्तीय लेखों में "सेवाकर" विषयक जो खाते Miscellaneous Deposit (Code 135) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक संधारित किए गये हैं, उन खातों में दर्ज किए गये डेबिट-क्रेडिट के व्यवहारों का मिलान (Reconciliation) करें। साथ ही 31.03.2017 के लिए आप द्वारा प्रस्तुत सेवाकर रिटर्न (ST-3) में वर्णित CENVAT Closing Balance के समंकों का उक्त खातों में वर्णित समंकों से मिलान का स्टेटमेण्ट तैयार कर Supplementary Account 2016-17 के साथ लाना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत की जा चुकी 31.03.2017 की सेवाकर रिटर्न की पठनीय प्रति भी साथ लेकर आवें।

भवदीया,

वित्तीय सलाहकार

RAJASTHAN HOUSING BOARD

UNIT :-

Annexure:- 4

EXCEL SHEET

MONTH:-

APPLICANT WISE CALCULATION SHEET FOR OUTPUT SERVICES

इस विवरण को बिन्दु संख्या 20 (i) के निर्देशानुसार तैयार करें।

Sr. No.	Name of depositer	Name of Scheme	House No.	Under HSN Code - 9954 (Point No. 3 - S.No. 1 to 17)							
				Total amount of services / supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total (including GST) (5+9+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Under HSN Code - 9972 (Point No. 3 - S.No. 18 to 38)								Amount of Non Taxable Head/ Services (Point 3 S.no. 55 to 63)	Total Received Amount (12+20+21)
Total amount of services / supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total (including GST) (13+17+19)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

RAJASTHAN HOUSING BOARD

Annexure:- 5

UNIT :- MONTH:-

EXCEL SHEET

DETAILS OF RECEIPTS FROM ALLOTTIES/ APPLICANTS FOR OUTPUT SERVICES (Point No. 3 - S.No. 39 to 41, 45 & 46)

इस विवरण को बिन्दु संख्या 20 **(ii)** के निर्देशानुसार तैयार करें।

Sr. No.	Head of Account	HSN code	Total amount of services/supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total (4+8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RAJASTHAN HOUSING BOARD

Annexure:- 6

UNIT :-

MONTH:-

EXCEL SHEET

DETAILS OF GST PAYABLE UNDER REVERSE CHARGE (Point No. 3 - S.No. 47 to 54)

Sr. No.	Head of Account	HSN code	Total amount of services/supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total
1	2	3	4	5	6		7		8	9

Annexure-7

दै. भास्कर 27.6.17

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर

क्रमांक :– F2(8)/Comp./GST/2017-18/190

दिनांक:– 21.06.2017

विज्ञप्ति

वर्तमान में मण्डल से आवेदकों/आवंटियों/बोलीदाताओं के लिए आवंटित आवासों/भूखण्डों के पेटे जमा कराई जा रही राशियों पर सेवाकर के वर्तमान नियमानुसार कर की राशि वसूल की जा रही है। निकट भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाकर कानून (जी.एस.टी.) लागू किया जा रहा है जिसके कारण वर्तमान नियमों में एवं कर दरों में परिवर्तन सम्भावित है।

अतः मण्डल के समस्त पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों को सूचित किया जाता है कि जी.एस.टी. कानून लागू होने की दिनांक से मण्डल द्वारा आवंटित आवास एवं भूखण्ड के पेटे जमा कराई जाने वाली समस्त राशियां, मासिक किस्तें एवं अन्य सभी प्रकार की राशियां जी.एस.टी. कानून के तहत यथा लागू देय कर की राशि सहित ही जमा हो सकेंगी।

ऐसे समस्त आवंटन पत्र/मांग पत्र जिनमें सेवाकर का दायित्व है अथवा नहीं है की राशि जी.एस.टी. कानून लागू होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात जमा कराने पर जी.एस.टी. कानून के अनुसार ही कर की राशि भी जमा करानी होगी।

आवासन आयुक्त

राज.संवाद/सी/17/2125

दै. भास्कर 27.6.17

राजस्थान पत्रिका 27.6.17

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर

क्रमांक :– F2(8)/Comp./GST/2017-18/190

दिनांक:– 21.06.2017

विज्ञप्ति

वर्तमान में मण्डल से आवेदकों/आवंटियों/बोलीदाताओं के लिए आवंटित आवासों/भूखण्डों के पेटे जमा कराई जा रही राशियों पर सेवाकर के वर्तमान नियमानुसार कर की राशि वसूल की जा रही है। निकट भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाकर कानून (जी.एस.टी.) लागू किया जा रहा है जिसके कारण वर्तमान नियमों में एवं कर दरों में परिवर्तन सम्भावित है।

अतः मण्डल के समस्त पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों को सूचित किया जाता है कि जी.एस.टी. कानून लागू होने की दिनांक से मण्डल द्वारा आवंटित आवास एवं भूखण्ड के पेटे जमा कराई जाने वाली समस्त राशियां, मासिक किस्तें एवं अन्य सभी प्रकार की राशियां जी.एस.टी. कानून के तहत यथा लागू देय कर की राशि सहित ही जमा हो सकेंगी।

ऐसे समस्त आवंटन पत्र/मांग पत्र जिनमें सेवाकर का दायित्व है अथवा नहीं है की राशि जी.एस.टी. कानून लागू होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात जमा कराने पर जी.एस.टी. कानून के अनुसार ही कर की राशि भी जमा करानी होगी।

आवासन आयुक्त

राज.संवाद/सी/17/2125

R.P 27-6-17

Annexure- 8.

दै. भास्कर 22.8.17

राजस्थान आवासन मण्डल

विज्ञप्ति

दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 27.06.2017 को प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार मण्डल के समस्त व्यवहारी आवेदकों / आवंटियों को सूचित कर दिया गया था "ऐसे समस्त आवंटन पत्र / मांग पत्र जिनमें सेवाकर का दायित्व है अथवा नहीं है की राशि जी.एस.टी. कानून लागू होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात जमा कराने पर जी.एस.टी. कानून के अनुसार ही कर की राशि भी जमा करानी होगी।" कतिपय प्रकरणों में संज्ञान में आया है कि आवेदक / आवंटियों द्वारा राशि संग्रहण केन्द्र अथवा अधिकृत बैंक शाखा में राशि जमा करवाते वक्त देय राशि के साथ निर्धारित जी.एस.टी. की राशि या तो कम दर से जमा करवाई जा रही है अथवा बिल्कुल जमा नहीं करवाई जा रही है। इस स्थिति में जमा कराई गई राशि में से देय जी.एस.टी. की पूर्ण राशि का समायोजन करने के पश्चात शेष रही राशि ही संबंधित आवंटी के पक्ष में जमा की जा रही है। इस प्रकार के समायोजन से यदि शेष राशि मूल राशि से कम रहती है तो शेष बकाया राशि पर राशि जमा होने की तिथि तक ब्याज की नियमानुसार देयता रहेगी।

अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से मण्डल के सभी व्यवहारी आवेदक / आवंटियों को पुनः सूचित किया जाता है कि देय बकाया राशि एवं भविष्य में जमा कराये जाने वाली राशि पर देय जी.एस.टी. बाबत संबंधित खण्ड / वृत्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर यथा योग्य राशि ब्याज सहित (यदि कोई हो) जमा करवाएँ अन्यथा बकाया राशि पर वास्तविक भुगतान की दिनांक तक ब्याज प्रभावी रहेगा।

DB 22.8.17 आवासन आयुक्त

राज.संवाद/सी/17/3462

दै. राजस्थान पत्रिका 22/8/2017

राजस्थान आवासन मण्डल

विज्ञप्ति

दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 27.06.2017 को प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार मण्डल के समस्त व्यवहारी आवेदकों / आवंटियों को सूचित कर दिया गया था "ऐसे समस्त आवंटन पत्र / मांग पत्र जिनमें सेवाकर का दायित्व है अथवा नहीं है की राशि जी.एस.टी. कानून लागू होने की तिथि को अथवा उसके पश्चात जमा कराने पर जी.एस.टी. कानून के अनुसार ही कर की राशि भी जमा करानी होगी।" कतिपय प्रकरणों में संज्ञान में आया है कि आवेदक / आवंटियों द्वारा राशि संग्रहण केन्द्र अथवा अधिकृत बैंक शाखा में राशि जमा करवाते वक्त देय राशि के साथ निर्धारित जी.एस.टी. की राशि या तो कम दर से जमा करवाई जा रही है अथवा बिल्कुल जमा नहीं करवाई जा रही है। इस स्थिति में जमा कराई गई राशि में से देय जी.एस.टी. की पूर्ण राशि का समायोजन करने के पश्चात शेष रही राशि ही संबंधित आवंटी के पक्ष में जमा की जा रही है। इस प्रकार के समायोजन से यदि शेष राशि मूल राशि से कम रहती है तो शेष बकाया राशि पर राशि जमा होने की तिथि तक ब्याज की नियमानुसार देयता रहेगी।

अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से मण्डल के सभी व्यवहारी आवेदक / आवंटियों को पुनः सूचित किया जाता है कि देय बकाया राशि एवं भविष्य में जमा कराये जाने वाली राशि पर देय जी.एस.टी. बाबत संबंधित खण्ड / वृत्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर यथा योग्य राशि ब्याज सहित (यदि कोई हो) जमा करवाएँ अन्यथा बकाया राशि पर वास्तविक भुगतान की दिनांक तक ब्याज प्रभावी रहेगा।

RP 22.8.17 आवासन आयुक्त

राज.संवाद/सी/17/3462

RAJASTHAN HOUSING BOARD

IIT :-

Annexure:- 4

EXCEL SHEET

MONTH:-

APPLICANT WISE CALCULATION SHEET FOR OUTPUT SERVICES

इस विवरण को बिन्दु संख्या 20 (i) के निर्देशानुसार तैयार करें।

S No.	Name of depositer	Name of Scheme	House No.	Under HSN Code - 9954 (Point No. 3 - S.No. 1 to 17)								Under HSN Code - 9972 (Point No. 3 - S.No. 18 to 38)								Amount of Non Taxable Head/ Services (Point 3 S.no. 55 to 63)	Total Received Amount (12+20+21)
				Total amount of services / supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total (including GST) (5+9+11)	Total amount of services / supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total (including GST) (13+17+19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
2				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
3				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
4				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
5				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
6				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
				0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	**0.00**		**0.00**
	TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

R.E. / DHC

RAJASTHAN HOUSING BOARD

Annexure:- 5

UNIT :-

MONTH:-

EXCEL SHEET

DETAILS OF RECEIPTS FROM ALLOTTIES/ APPLICANTS FOR OUTPUT SERVICES (Point No. 3 - S.No. 39 to 41, 45 & 46)

इस विवरण को बिन्दु संख्या 20 **(ii)** के निर्देशानुसार तैयार करें।

Sr. No.	Head of Account	HSN code	Total amount of services/supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total (4+8+10)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Application fees for enlistment of firms	9997		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
2	Enlistment fees	9997		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
3	Liquidated damage charges recoverable from contractors/	9997		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
4	RTI Fees	9997		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
	Sub Total (1)		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
5	Selling of space for Advertisement in print media	9983		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
	Sub Total (2)		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Total 1 to 2 (Taxable Services)		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

AAO-II / I / A.O.

R.E. / DHC

RAJASTHAN HOUSING BOARD

Annexure:- 6

UNIT :- MONTH:-

EXCEL SHEET

DETAILS OF GST PAYABLE UNDER REVERSE CHARGE (Point No. 3 - S.No. 47 to 54)

Sr. No.	Head of Account	HSN code	Total amount of services/supply	Amount of exempted values	Taxable values	Rate of CGST	CGST amount	Rate of RGST	RGST amount	Total
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1	Services of GTA Other than above	9967		0.00	0.00	2.5%	0.00	2.5%	0.00	0.00
2	Services by Advocate	9982		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
3	Services provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal	9982		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
4	Services by Retired Employees (Considering unregistered)	9985		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
	under reverse charge, if purchased from unregistered dealers									
	for example									
5	Tea & coffee	2202		0.00	0.00	6%	0.00	6%	0.00	0.00
6	Namkeen , samosa,Kachori etc.	2106		0.00	0.00	6%	0.00	6%	0.00	0.00

Annexure-6

7	Lock and key	8301		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
8	Sponsorship of an event	9983		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
9	Hiring of computer with operator	9973		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
10	**Hiring of Vehicle**									
	(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	9966		0.00	0.00	2.5%	0.00	2.5%	0.00	0.00
	(ii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) above. (also motorcab if fuel is provided by Raj. Seeds	9966		0.00	0.00	9%	0.00	9%	0.00	0.00
	TOTAL		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

1 **S.N. 1 to 4 are mandatory reverse charge services i.e. GST is to be paid by the Board for these services either the service provider is registered or not**

2 **Services/ procurement shown at S.N. 5 to 10 are just an example, in case other services or goods purchased from un registered dealer than the detail of GST payable amount must be incorported next to S.N. 10 and onwards**

AAO-II / I / A.O.

R.E. / DHC